राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6144/2009

पी.एल. हिसारिया पुत्र श्री पूरन चंद हिसारिया, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी 14/61, मालवीय नगर, जयपुर, सेवानिवृत्त जिला न्यायधीश।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार को मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के माध्यम से
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री एस.सी.गुप्ता,
		सुश्री नेहा गोयल के साथ
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री राजेश महर्षि-एएजी
		श्री उदित शर्मा के साथ

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश सुरक्षित करने की तिथि	::	17.08.2023
आदेश उच्चारित करने की तिथि	::	12.09.2023

<u>रिपोर्टेबल</u>

1. याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ त्वरित याचिका दायर की गई है:-

> "(i) आदेश दिनांक 06.06.2006 (अनुलग्नक-3-ए) को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए, जहां तक यह अतिरिक्त भत्ते प्रदान नहीं करता है; और दिनांक 16.12.2008 के इनकार पत्र/आदेश को कृपया रद्द किया जाए और यह माना जाए कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, जिन्होंने 01.03.2006 से 30.04.2008 तक जांच आयोग के सचिव के

रूप में कार्य किया, तीन भत्तों के पात्र थे (i) सत्कार भत्ता रु. 1,000/- प्रतिमाह, (ii) आवासीय कार्यालय भत्ता 300/- रुपये प्रतिमाह और (iii) वाहन भत्ता, 50 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह।

(ii) प्रत्यर्थी को 01.03.2006 से 30.04.2008 तक की अवधि के लिए 3 भत्तों का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाए (1) संपूर्ति भत्ता @ 1,000/- रुपये प्रतिमाह, (ii) आवासीय कार्यालय भत्ता 300/- रुपये प्रतिमाह और (iii) वाहन भत्ता @ 50/- लीटर पेट्रोल प्रतिमाह।

(iii) प्रत्यर्थी को उपरोक्त 3 भत्तों के बदले ब्याज सहित 98,800/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

<u>याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ:</u>

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को केजरीवाल जांच आयोग ने दिनांक 21.03.2005 के आदेश द्वारा न्यायमूर्ति आर.एस. के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता को न्यायाधीश औद्योगिक-सह-श्रम न्यायाधिकरण, जयपुर के रूप में तैनात किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि बाद में, प्रत्यार्थी द्वारा दिनांक 06.02.2006 के आदेश के तहत एक नया नियुक्ति आदेश जारी किया गया था जिसमें यह दर्शाया गया था कि याचिकाकर्ता ने 28.02.2006 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है और उसी आदेश से उसे उपरोक्त पद पर फिर से नियुक्त किया गया था। सचिव, न्यायिक जांच आयोग के कार्यों का निर्वहन करेंगे। अधिवक्ता का कहना है कि उनकी पुनर्नियुक्ति के समय एक शर्त रखी गई थी कि वह आवासीय कार्यालय भत्ता, सम्पचुअरी भत्ता और पेट्रोल भत्ता पाने के पात्र नहीं होंगे। अधिवक्ता का कहना है कि अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों, अर्थात् राधेश्याम गुप्ता और नानाग्राम शर्मा को उपरोक्त सभी भत्ते दिए गए थे और उन्हें इसी तरह विभिन्न जांच आयोग और विशेष समिति में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि जब याचिकाकर्ता का मामला उपरोक्त व्यक्तियों के बराबर था तो याचिकाकर्ता भी समान भत्ते पाने का पात्र है। अधिवक्ता का कहना

है कि दो बराबर लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, प्रत्यार्थी को याचिकाकर्ता को ब्याज सहित पेट्रोल भत्ता, सम्पचुअरी भत्ता और आवासीय कार्यालय भत्ता का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

<u>प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुतियाँ:</u>

3. इसके विपरीत, प्रत्यार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को सचिव के रूप में नियुक्त करने के समय वह सेवा में थे और न्यायाधीश औद्योगिक न्यायाधिकरण के रूप में अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन कर रहे थे। उन्हें न्याय सचिव आर.एस. के रूप में कार्य करने का कार्यभार सौंपा गया। केजरीवाल जांच आयोग. अधिवक्ता का कहना है कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें उपरोक्त आयोग के सचिव के रूप में पुन: नियुक्त किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि उनकी नई नियुक्ति के बाद, प्रत्यार्थियों द्वारा 06.06.2006 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता उपरोक्त सभी भत्ते पाने का पात्र नहीं होगा। अधिवक्ता का कहना है कि विभिन्न जांच आयोगों में नियुक्त व्यक्तियों को भत्ते देना राज्य का पूर्ण विवेक है। अधिवक्ता का कहना है कि राधेश्याम गुप्ता और नानंगराम शर्मा के मामले में वित्त विभाग द्वारा मंजूरी दी गई थी, इसलिए उन्हें उपरोक्त लाभ दिए गए थे, लेकिन यहां तत्काल मामले में वित्त विभाग द्वारा ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई थी, इसलिए प्रत्यार्थी ने कहा है याचिकाकर्ता को ये भत्ते न देने में कोई अवैधता नहीं हुई। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता कोई राहत पाने का पात्र नहीं है।

<u>विश्लेषण और तर्क:</u>

4. बार में की गई दलीलों को सुना और उन पर विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

5. 27.10.2004 को पुलिस गोलीबारी में गंगानगर, जिले के गढ़साना और रावला में चार लोगों की जान चली गई। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति

उत्पन्न करने वाली संपूर्ण परिस्थितियों की जांच करने के लिए, राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने जांच आयोग अधिनियम 1952 (संक्षेप में, '1952 का अधिनियम') की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11.02.2005 को एक अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. केजरीवाल की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को न्यायमूर्ति आर.एस. के अंशकालिक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। केजरीवाल जांच आयोग. दिनांक 21.03.2005 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को औद्योगिक-सह-श्रम न्यायाधिकरण जयपुर के न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा आयोग में अन्य कर्तव्य भी सौंपे गए थे। इसके बाद, याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद 28.02.2006 को औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गया। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें दिनांक 6.2.2006 के आदेश द्वारा उपरोक्त जांच आयोग के सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था और उनके वेतन और भत्ते राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 152 के अनुसार तय किए गए थे, लेकिन इस आदेश में एक शर्त लगा दी गई थी कि याचिकाकर्ता आवासीय कार्यालय, पेट्रोल और सम्पचुअरी भत्ते पाने का पात्र नहीं होगा। प्रारंभ में, यह इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति फहेह चंद बंसल का एक और जांच आयोग गठित किया गया था और एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायिक अधिकारी, राधे श्याम गुप्ता को उपरोक्त के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 7.1.2008 के द्वारा उन्हें वेतन एवं अन्य भत्तों के अलावा आवासीय कार्यालय, सम्पचुअरी एवं पेट्रोल भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

6. इसी प्रकार, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षण में शामिल करने के लिए गुर्जरों के मामले की जांच करने के लिए राज्य द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था और एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी श्री नानाग्राम शर्मा को इस समिति के विशेष

सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और ये उन्हें सभी आवासीय कार्यालय, सत्कार भत्ते आदि भत्ते दिए गए और राजस्थान मोटर गैराज से एक वाहन उपलब्ध कराया गया।

7. इन तीनों भत्तों को प्राप्त करने के लिए, याचिकाकर्ता ने प्रत्यार्थी के खिलाफ निर्देश मांगने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस न्यायालय ने दिनांक 24.08.2016 के आदेश के तहत राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को याचिकाकर्ता को इन भत्तों से इनकार करने का कारण जानने के लिए एक शपथ-पत्र दायर करने का निर्देश दिया।

8. उपरोक्त आदेश के क्रम में मुख्य सचिव ने पैरा 4, 5 एवं 6 में निम्नलिखित कारण बताते हुए शपथ-पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रत्यार्थियों की कार्यवाही को उचित ठहराया। उपरोक्त हलफनामे के पैरा 4, 5 और 6 इस प्रकार हैं:

> "4. यहां संक्षिप्त तथ्य और परिस्थितियां प्रस्तुत की गई हैं, कि याचिकाकर्ता को दिनांक 21-03-2005 के आदेश के तहत न्यायमूर्ति केजरीवाल जांच आयोग (इसके बाद **'आयोग'** के रूप में संदर्भित) में अंशकालिक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और उस दौरान, याचिकाकर्ता औद्योगिक न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इसके बाद, याचिकाकर्ता 28-02-2006 को सेवानिवृत्त हो गया और बाद में, उसे दिनांक 06-02-2006 के आदेश के तहत उक्त आयोग में फिर से नियुक्त किया गया। उपरोक्त पुनर्नियुक्ति आदेश के अनुसरण में, राज्य सरकार ने दिनांक 06-06-2006 को एक आदेश पारित किया जिसमें राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 (इसके बाद **"नियम 1996"** के रूप में संदर्भित) के नियम 152 के तहत याचिकाकर्ता की पुनर्नियुक्ति बताई गई और उपरोक्त के लिए याचिकाकर्ता को दिए गए भुगतान का वर्णन किया गया। नियुक्ति में अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाकर्तागण को भत्ते (अर्थात विशिष्ट भत्ता, आवास भत्ता, पेट्रोल भत्ता आदि) देने से इनकार कर दिया गया, जैसा कि याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति से पहले

भुगतान किया गया था। दिनांक 06-06-2006 के आदेश की एक प्रति यहां संलग्न है और इसे **'अनुलग्नक 1'** के रूप में चिह्नित किया गया है।

5. याचिकाकर्ता को 1996 के नियम के नियम 152 के तहत पुनः नियुक्त किया गया है, जिसके तहत उक्त नियम में पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों के वेतन निर्धारण का वर्णन किया गया है। नियम 1996 के नियम 152 के उप-नियम (ए) के अनुसार, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी को केवल निर्धारित वेतनमान में वेतन लेने की अनुमति दी जाएगी और इससे पहले उनके द्वारा धारित पद के वेतनमान की कोई सुरक्षा नहीं होगी। उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। इस प्रकार, राज्य-प्रत्यर्थी के पास पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी का वेतन तय करने का कानूनी अधिकार है और वे उक्त नियमों के तहत पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी को भत्ते देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

6. हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए इस आरोप के संबंध में कि राज्य प्रत्यर्थी द्वारा अन्य पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों को भत्ते देने में अपनाए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार कर दिया गया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य प्रत्यर्थी केवल पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों को भत्ते देने के लिए स्वतंत्र हैं। वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, यहां यह प्रस्तुत करना उचित है कि प्रत्येक पुनर्नियोजन राज्य प्रत्यर्थी का विवेक है और प्रत्येक पुनर्नियोजन आदेश के नियमों और शर्तों की तुलना अन्य पुनर्नियोजन आदेश से नहीं की जा सकती है और न ही, इसे मिसाल माना जा सकता है। इस प्रकार, राज्य प्रत्यर्थी ने दिनांक 16-12-2008 के आदेश को पारित करने और 1996 के नियम 152 के अनुसार याचिकाकर्ता के वेतन के निर्धारण में कोई अवैधता नहीं की है।

"152. पुनः नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन का निर्धारण

क) पुनर्नियोजन पेंशनभोगियों को केवल उन पदों के लिए निर्धारित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें वे पुनः नियोजित हैं। सेवानिवृत्ति से पहले उनके द्वारा धारित पदों के वेतनमान

की कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी।

ख) (i) ऐसे सभी मामलों में जहां पेंशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, पुनर्नियोजन पर प्रारंभिक वेतन पुनर्नियुक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम पर तय किया जाएगा। (ii) ऐसे मामलों में जहां वेतन निर्धारण के लिए संपूर्ण पेंशन और पेंशन संबंधी लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है, पुनर्नियोजन पर प्रारंभिक वेतन सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्त अंतिम वेतन के समान चरण पर तय किया जाएगा। यदि पुनर्नियुक्त पद पर ऐसा कोई चरण नहीं है, तो वेतन उस वेतन से नीचे के चरण पर तय किया जाएगा। यदि किसी पेंशनभोगी को पुनः नियोजित वेतनमान की अधिकतम सीमा सेवानिवृत्ति से पहले उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन से कम है, तो उसका प्रारंभिक वेतन पुनः नियोजित पद के वेतनमान के अधिकतम पर तय किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि किसी पेंशनभोगी को पुनः नियोजित वेतनमान का न्यूनतम वेतन सेवानिवृत्ति से पहले उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन से अधिक है, तो उसका प्रारंभिक वेतन पुनः नियोजित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर तय किया जाएगा। हालाँकि, इन सभी मामलों में, पेंशन का गैर-अनदेखा भाग इस प्रकार निर्धारित वेतन से कम कर दिया जाएगा। (ग) पुनः नियोजित पेंशनभोगी को उपरोक्त उप नियम (ख) के तहत तय किए गए वेतन के अलावा, उसे स्वीकृत किसी भी पेंशन को अलग से निकालने और सेवानिवृत्ति लाभों के किसी अन्य रूप को बनाए रखने की अनुमति होगी। (घ) 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले और पुनः नियोजित व्यक्तियों के मामले में, पेंशन (ग्रेच्युटी के बराबर पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के अन्य रूपों को छोड़कर) को निम्नलिखित सीमा तक प्रारंभिक वेतन निर्धारण के लिए नजरअंदाज कर दिया जाएगा: (i) पूर्व सैनिकों के मामले में, जो रक्षा बलों में कमीशन अधिकारी के रैंक से नीचे पद पर थे और अन्य सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के मामले में, जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय राज्य सेवा पदों के अलावा अन्य पदों पर थे, पूरी पेंशन और पेंशन समकक्ष सेवानिवृत्ति लाभों को नजरअंदाज कर

दिया जाएगा। (ii) रक्षा बलों और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित सेवा अधिकारियों के मामले में, जो सेवानिवृत्ति के समय राज्य सेवाओं के सदस्य थे, पेंशन के पहले 1 "रूपए 1500/-" को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। (ङ) उप नियम (क) से (घ) के तहत निर्धारित वेतन और सकल पेंशन एक साथ मिलाकर (रु. 26,000/-) प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

9. इन लाभों से इनकार करने का एकमात्र कारण यह है कि किसी पुनर्नियुक्त व्यक्ति को ये भत्ते देने के लिए, वित्त विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता होती है और पुनर्नियोजन के नियम और शर्तें राज्य का विवेक है और इसकी तुलना अन्य पुनः नियोजित व्यक्तियों के साथ नहीं की जा सकती है।

10. याचिकाकर्ता को इन लाभों से इनकार करने के लिए प्रत्यार्थी का ऐसा रुख काफी भेदभावपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है और पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों को भत्ते का लाभ देना है या नहीं, इसका विवेकाधिकार उसके पास है। लेकिन सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए जो मनमाना, अनुचित या भेदभावपूर्ण न हो। कई देशों में, सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की जाती हैं ताकि वे सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी प्रशासन के लिए आवश्यक निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। हालाँकि, इन शक्तियों का प्रयोग शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ कानूनी और संवैधानिक सीमाओं के अधीन होना चाहिए। गैर-मनमानेपन के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों को विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय कानून के अनुसार अच्छे विश्वास से कार्य करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उनके पास अपने निर्णयों के लिए तर्कसंगत आधार होना चाहिए और उन्हें मनमौजी, या भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। विवेकाधीन शक्ति का कोई भी प्रयोग व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, या पूर्वाग्रहों के बजाय प्रासंगिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होना चाहिए।

11. सरकार का ऐसा कृत्य दो समान लोगों के बीच भेदभाव के समान है। कानून का यह सुस्थापित प्रस्ताव है कि दो बराबर लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। समान लोगों को असमान मानना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

12. यह सिद्धांत कि दो बराबर लोगों के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता, न्याय और निष्पक्षता का एक मौलिक सिद्धांत है जिसे दुनिया भर की कानूनी प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। कई देशों ने इस सिद्धांत को या तो विशिष्ट कानूनों के माध्यम से या संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से अपने कानूनी ढांचे में स्थापित किया है। उदाहरण के लिए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों के लिए एक मूलभूत दस्तावेज़ के रूप में मान्यता दी गई है, अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण के पात्र हैं। इसी तरह, कई देशों में भेदभाव-विरोधी कानून हैं जो नस्ल, लिंग, धर्म या अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाते हैं। ये कानून यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या व्यक्तिगत विशेषताएं कुछ भी हों।

13. महान दार्शनिक और विद्वान अरस्तू के अनुसार "समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए"। न्याय का सबसे बुनियादी सिद्धांत जिसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है क्योंकि इसे दो हजार साल से भी अधिक समय पहले अरस्तू द्वारा परिभाषित किया गया था। यह सिद्धांत कहता है कि "व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, जब तक कि वे उस स्थिति के लिए प्रासंगिक तरीकों में भिन्न न हों जिसमें वे शामिल हैं।

14. समान पद पर आसीन सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी राधे श्याम गुप्ता एवं नानाग्राम शर्मा के नियुक्ति आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें भी याचिकाकर्ता की तरह सचिव पद पर नियुक्त किया गया था और उनका मामला

याचिकाकर्ता के समान है लेकिन उन्हें पेट्रोल, आवासीय कार्यालय और सम्पचुअरी भत्ते का लाभ दिया गया है जबकि याचिकाकर्ता को बिना किसी तार्किक और उचित कारण के अस्वीकार कर दिया गया है। यदि याचिकाकर्ता को उपरोक्त सभी भत्ते देने के लिए वित्त विभाग द्वारा कोई मंजूरी नहीं ली गई या दी गई तो ऐसी स्थिति के लिए याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

15. इन सभी व्यक्तियों के कार्य एवं कार्यप्रणाली में कोई अंतर नहीं था तथा इन्होंने सचिव पद पर कार्य करते हुए समान कर्तव्यों का निर्वहन किया है, अतः ये सभी समान लाभ पाने के पात्र हैं। याचिकाकर्ता को आवासीय कार्यालय, पेट्रोल और सम्पचुअरी भत्ते के लाभों से इनकार करना प्रत्यार्थी की ओर से घोर भेदभाव है। याचिकाकर्ता भी 01.03.2006 से 30.04.2008 तक जब उन्हें जांच आयोग के सचिव के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था 10 अप्रैल से सभी लाभ पाने का पात्र है। ।

<u>निष्कर्ष:</u>

16. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है।

17. प्रत्यार्थी को याचिकाकर्ता को प्रभावी 01.03.2006 से इसकी वास्तविक प्राप्ति की तिथि तक आवासीय कार्यालय, पेट्रोल और सम्पचुअरी भत्ते और सभी देय बकाया राशि 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। ।

18. सभी आवेदन (लंबित, यदि कोई हो) का भी निपटारा किया जाता है।

19. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

20. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस आदेश का अनुपालन इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर प्रत्यार्थी द्वारा किया जाएगा।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।